

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(गौरव अग्रवाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

114/2017
14-12-2017

श्योजीराम पुत्र बजरंगा जाति भीणा निवासी चतरपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
राज०

-अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला-टोंक राजस्थान

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय तहसीलदार उनियारा दिनांक 26-9-2017 मिसल सं०
22/2017



- (1) श्री विजयबहादुरसिंह अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक 24-2-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 26-11-2017 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 669/287 रकबा 0.18 है० बरानी एवं खसरा नम्बर 683/288 रकबा 0.01 है० गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम चतरपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि में उडद की फसल काशत करने पर फसल नीलाम करने, भूमि से बेदखल करने 180/रूपये की पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है ओर न ही स्वयं द्वारा मौका देखा गया है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पटवारी द्वारा



जिला कलेक्टर
टोंक

दुर्भावना पूर्वक अपीलान्त के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की गई जिसके आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्त के अभिभाषक का यह भी कथन है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्त को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाएँ कमशः बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अपीलान्त को निर्णय की जानकारी नहीं हुई थी जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय की नकल लेकर मय दफा-5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर रहा है।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 669/287 रकबा 0.18 है0 बरानी एवं खसरा नम्बर 683/288 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम चतरपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर उडद की फसल काशत कर कब्जा किया है। अपीलान्त को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है, नोटिस पर श्योजीराम स्वयं की तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त ने इस भूमि पर पहले भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में भी बेदखल किया गया था। अपीलान्त ने अब पुनः अतिक्रमण किया है। अपीलान्त सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त ने राजकीय भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 669/287 रकबा 0.18 है0 बरानी एवं खसरा नम्बर 683/288 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम चतरपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर उडद की फसल काशत की है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्त की विधिवत रूप उसकी संवय की तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त ने इस भूमि पर पहले भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल किया गया था। अपीलान्त ने अब पुनः अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 26-9-2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24-2-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोक

